गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
GOA SHIPYARD LIMITED
आयएसओ 9001:2008 कंपनी
An ISO 9001:2008 Company
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE
वास्को-द-गामा, गोवा
VASCO-DA-GAMA, GOA, 403 802, INDIA.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

टेलेग्राम / Telegram : GOAYARD
दूरभाष/ Tel. : 0832-2512152-56,2512359
फॅक्स/Fax. : (0091-832) 2514232, 2512148/2515260
ई-मेल/E-mail. : contactus@goashipyard.com
Website : www.goashipyard.com
GSL CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN)
U63032GA1967GO1000077
पंजिकृत कार्यालय और यार्ड : वास्को-द-गामा, गोवा
Registered Office & Yard : Vasco-da-Gama, Goa, 403 802, INDIA.
सभी उत्तर अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक को संबोधित करना है।
All replies to be addressed to the Chairman & Managing Director

नोटिस

इसके द्वारा सूचना दी जाती है, कि निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की बावनवीं वार्षिक साधारण बैठक, निम्नानुसार संपन्न होगी :-

दिन	:	सोमवार
तारीख	:	17 सितंबर 2018
समय	:	1615 बजे
स्थान	:	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, वाडें, वास्को-द-गामा, गोवा

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार तुलन-पत्र सह लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखों सहित निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

2. वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश पर विचार करना तथा घोषित करना।

3. कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद, 117(2) के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करना।

GOA SHIPYARD LTD. Vasco-da-Gama, Goa.

4. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित कर, कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 174 के अनुसार, संशोधन करते हुए या संशोधन किए बिना वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित करना:-

"**स्पष्ट किया जाता है कि** वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक 3,00,000/- रुपए प्लस जीएसटी एवं भत्ते की वास्तविक रूप में खर्च की गई राशि प्लस लागू कर यदि हो तो नियत किया जाए।"

<u>विशेष कार्य</u>

5. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित कर, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकों) नियम 2014 की धारा 148 तथा अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार संशोधन करते हुए या संशोधन किए बिना वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक को संशोधित करना :

"**संकल्प किया जाता है कि**, कंपनी अधिनियम 2013 तथा कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकों) नियम 2014 (अस्थायी तौर पर लागू कोई भी संवैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियम सहित) की धारा 148 तथा अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक 1,50,000 लाख रुपए प्लस जीएसटी एवं भत्ते की वास्तविक राशि (बशर्ते कि यह राशि अधिकतम राशि 25,000 रुपए) प्लस लागू कर एतद् द्वारा संपुष्टि की गई है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

छाया

(छाया जैन)
कंपनी सचिव

वास्को-द-गामा, गोवा
28 जून 2018

GOA SHIPYARD LTD. Vasco-da-Gama, Goa.

टिप्पणियाँ

1. **बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।**

2. प्रतिनिधि या किसी अन्य प्राधिकारी, यदि कोई हो तो उसे नियुक्त करने से संबंधित दस्तावेज प्रभावी होने के लिए बैठक आयोजित करने के कम से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कोई व्यक्ति कंपनी के कुल शेयर पूँजी के औसतन 10 प्रतिशत से ज्यादा होने पर जिसे मतदान करने का अधिकार है, वह 50 से ज्यादा सदस्यों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सदस्य जिनके पास कंपनी के कुल शेयर पूँजी के 10 प्रतिशत से ज्यादा है उन्हें मतदान करने का अधिकार है। वह प्रतिनिधि के रूप में एकल व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, ऐसे व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति या शेयर धारकों के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

3. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई, इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवा (जमा निकासी) प्रणाली (ईसीएस) क्रियान्वित की है, जो अर्धवार्षिक/वार्षिक लाभांश सीधे बैंक खाते पर जमा करने का विकल्प उपलब्ध कराती है। ईसीएस प्रणाली, कंपनी को लाभांश के द्रुत अवरोध मुक्त भुगतान जारी करने में सहयोग देगी और सदस्यों को बेहतर ढंग से सेवा प्रदान करेगी। सदस्यों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रानिक निकासी सेवा (जमा निकासी) प्रणाली (ईसीएस) में भाग लें तथा इसके साथ संलग्न अधिदेश पत्र भरें व हमारे पास भेज दें। इलेक्ट्रानिक निकासी सेवा (जमा निकासी) के लिए अधिदेश पत्र में भरी हुई जानकारी सही, सभी दृष्टि से पूर्ण तथा आपके बैंक द्वारा यथोचित ढंग से प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक यथोचित ढंग से भरा एवं हस्ताक्षर किया हुआ अधिदेश पत्र हमें नहीं भेजा है उनसे अनुरोध है कि वे उसे हमारे पास गोशिलि, वास्को-द-गामा, गोवा - 403802 में तुरंत भेज दें।

4. बैठक में ली जानेवाली विशेष कारोबार से संबंधित विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार संलग्न है।

5. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि, यदि उनके पते या ई-मेल आईडी में कोई परिवर्तन हुआ हो तो वे इसकी सूचना तत्काल कंपनी को सूचित करें।

6. यदि लाभांश की घोषणा की गई तो उन सभी सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनका नाम दिनांक 17 सितंबर 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है।

7. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तक घोषित अवैतनिक अथवा अदावाकृत लाभांश केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आयईपीएफ) में स्थानांतरित किए हैं। दिनांक 26 सितंबर 2017तक (अर्थात पूर्व वार्षिक साधारण बैठक की तिथि तक) कंपनी के पास पड़ी हुई अवैतनिक अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि का विवरण कंपनी ने अपनी वेबसाईट www.goashipyard.in और निगमित कार्य मंत्रालय की वेबसाईट www.mca.gov. in पर अपलोड की है।

GOA SHIPYARD LTD.